शिवाजी का शासन व्यवस्था का विश्लेषण

भूमिका

छत्रपति शिवाजी महाराज बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने विद्धान, दा ानिक, उच्च चरित्र, वीर सैनिक, कूटनीतिज्ञ, आर्दश राजनीतिज्ञ, तपस्वी, संयासी तथा कर्तव्यनिश्ट राजा के गुणों को प्रदर्शित किया उन्होंने अपनी कु ालता और सु ाासन व्यवस्था से तथा अपने राजस्व सिद्धांतो से सुदृढ़ लोकप्रिय और न्याय पर आधारित सहिश्णु साम्राज्य का निर्माण किया, जिससे शिवाजी का भाासन व्यवस्था अत्यंत सर्वोपरी रहा है।

भारत के इतिहास में शिवाजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिवाजी न केवल एक अच्छे सेनानायक ही थे, वरन् वे उच्च कोटि के सफल प्रशासक थे। डॉक्टर आर. सी. मजूमदार का कहना ''वह केवल एक निर्भीक सैनिक तथा सफल सैनिक विजेता ही न था वरन् अपनी प्रजा का प्रबुद्धत्ता शासक भी था। शिवाजी प्रायः सभी महान सेनानायक की भांति शिवाजी एक महान शासक था, क्योंकि वही गुण जो एक योग सेनापति को पैदा करते हैं, वह सफल संगठनकर्ता तथा राजनीतिक के लिए भी वांछनीय हैं। शिवाजी ने अपने नवोदित राज के जो श्रेष्ठतम प्रशासकीय व्यवस्थापित कि वह इस बात का प्रमाण है, कि शिवाजी ने केवल श्रेष्ठ योद्धा और सेनापति ही थे, अपितु वह एक श्रेष्ठ प्रशासक भी थे। इनका शासनकाल 1674 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक रहा। शिवाजी अपने शासन के सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया है।

1. केन्द्रिय शासन तथा उनके विभिन्न भाग इस प्रकार हैंः–

***(1)*राजा** :– शिवाजी का शासन केन्द्रिय स्वेच्छाचायी भाासन था। राज की इसकी शक्तियां शिवाजी के हाथों में निहित था। यानी पूरे प्रशासन धुरी शिवाजी थे। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अथवा नियंत्रण नहीं था। उनके आदेशों के पालन सभी को करना पड़ता था। शिवाजी को पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति करने का पूर्ण अधिकार था। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि अपनी समकालीन तानाशाहों से बिल्कुल भिन्न थे।

शिवाजी ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आम जनता के उपेक्षा नहीं की तथा न जनता के अधिकारों का हनन किया। शिवाजी ने सत्ता का दूरपयोग नहीं किया। तथा हर संभव तरीके से जनता की उत्थान की चेष्टा की। वह प्रजा के लिए कत्याण किया तथा प्रजाहित, प्रजासुरक्षा, न्याय, नैतिकता, तथा धर्म के लिए उदात्त भावना थी।

***(2)*अष्ट प्रधान मंत्रीपरिषद**– ''शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी इस मंत्री परिषद में कुल आठ मंत्री ''अष्टप्रधान'' के सभी मंत्रियों को शिवाजी स्वयं नियुक्त करते थे। प्रत्येक मंत्रियों को एक विभाग सौंपा जाता था जो अपने विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह पूर्ण रुप से उत्तरदायी होता था। मंत्रियों को शिवाजी के आज्ञानुसार कार्य करना पड़ता था मंत्रियों का कार्य सिद्धांत रूप में शिवाजी को परामर्श देना था मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। इस अष्टप्रधानों के नाम एवं कार्य इस प्रकार थेः–

***(i)*पेशवा (प्रधानमंत्री)** :– पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ नेता या अगुवा कहते थे, पेशवा के पद प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व बड़ा उँच्चा होना चाहिए तथा उच्च कोटि की राजभक्ति एवं

स्वामीभक्ति होनी चाहिए इसका मुख्य कर्तव्य शासन की कार्यकुशलता राज्य के विभिन्न अधिकारियों के कार्यों में संतुलन बनाना।

***(ii)*आमात्यः–** शिवाजी के अष्टप्रधान में दूसरा मंत्री आमात्य कहलाता था। आमात्य अर्थ विभाग का प्रधान होता था इसे मजूमदार भी कहा जाता था इसका कार्य राज्य के आय–व्यय का ब्योरा एवं विभिन्न प्रांतों के हिसाब–किताब की जांच पड़ताल करना था।

***(iii)*मंत्रीः–** शिवाजी के अष्टप्रधान में मंत्री एक प्रकार का मुगल दरबार का बाकिया नवीस के समान होता था। यह शिवाजी के गृह प्रबंध के लिए उत्तरदायी था, तथा दरबार के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण भी रखता था, मंत्री के द्वारा राजा का भोजन आदि का प्रबंध भी करता था।

***(iv)* सचिवः–** शिवाजी के अष्टप्रधान में सचिव था जो पंत सचिव कहते थे या राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व का वहन करता था जिसका कार्य परगनों आदि की आमदनी का हिसाब रखना पड़ता था। यह राजकीय पत्रों को ठीक ढंग से तैयार भी करवाता था। इसे सुरनिस या शुरू नविस भी कहा गया है।

***(v)* सुमंत (विदेश मंत्री)–** सुमंत का वही कर्तव्य होता था जो मुगल दरबार में दवीर के होते थे। इसे विदेश मंत्री के रूप में जाने जाते थे सुमंत विदेशी मामलों में शत्रु से युद्ध एवं संधि के विषय में परामर्श देता था। राष्ट्र के बाहर राजा तथा अपने देश के सम्मान एवं सुरक्षा का भार सुमंत पर ही था।

***(vi)* सेनापतिः–** यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था इसका कार्य सैनिकों का भर्ती करना, संगठन, प्रशिक्षण, अनुशासन, रसद, एवं युद्ध योजना आदि सेना संबंधी कार्यों के लिए यही देखता था। सेना द्वारा लूट करके लाए गए माल का भी हिसाब यही रखता था।

***(vii)* पंडितरावः–** यह राज्य का मुख्य धर्माधिकारी या राजपुरोहित होता था, इनका काम राजा के द्वारा दी गई राशि को गरीब ब्राह्मणों में बांटना एवं दीन–दुखियों की सहायता करना। पंडितराव का एक महत्वपूर्ण कार्य नैतिक आचरण पर भी निगाह रखता था धार्मिक रीति–रिवाजों का नियम बनाना जाति–पांति के झगड़ों का निर्णय करना आदि कार्य था।

***(viii)* न्यायाधीशः–** शिवाजी के अष्टप्रधान में अंतिम विभाग न्यायाधीश का था वह न्याय विभाग का अध्ययन होता था जिसे न्याय की व्यवस्था करता था एवं दीवानी फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था, वह हिंदूधर्म शास्त्र तथा परंपराओं के आधार पर निर्णय देता था। सेनापति को छोड़कर अन्य सातो मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश एवं पंडितराव को छोड़कर शेष सभी को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक अभियानों में जाकर युद्ध संचालन करना पड़ता था।

मंत्रियों का वेतनः– शिवाजी के शासनकाल में सभी मंत्रियों का वेतन राजकोष से दिया जाता था। पेशवा को 15000 होण वार्षिक आमात्य को 12000 होण वार्षिक तथा छः मंत्रियों का वेतन 10,000 होण वार्षिक दिया जाता था।

उपयुक्त आठ मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य के समुचित पत्र व्यवहार के लिए विभिन्न चिटनिस और मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे।

सैनिक प्रबंधः– शिवाजी के शक्ति के प्रधान स्रोत उसकी सेना थी अपनी सैनिक शक्ति के बल पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी उसने सैन्य व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया था। शिवाजी के शासन के पूर्व मराठा सैनिक छः महीने सेना में और छः महीनों खेतों में कार्य किया करते थे, परंतु शिवाजी ने इस

पुरानी व्यवस्था को अंत करते हुए स्थाई सेना की व्यवस्था की। जो सदैव राज्य की सेना में संलग्न रहती थी।

अश्वारोही सेनाः– शिवाजी के सेना का प्रधान अंग अ वारोहियो की सेना थी, अश्वारोही सेना दो प्रकार के होते थे, प्रथम बारगीर और दूसरा सिलेदार। बारगीर में वैसे अ वारोही सेना होते थे, जो कि प्रत्यक्ष वेतन भोगी होते थे। इसको आवश्यकता युद्ध सामग्री मिलती थी, दूसरा सिलेदार अश्वारोही युद्ध हेतु शस्त्रों का प्रबंध स्वयं करते थे। इसको बारगीर की अपेक्षा वेतन अधिक मिलता था। इसका मुख्य अधिकारी हवलदार होता था, शिवाजी ने घोड़े को दागने और हुलिया लिखने की व्यवस्था भी की थी।

पैदल सेनाः– पैदल सैनिको में नवपायिकों की सबसे छोटी इकाई होती थी इसका मुख्य नायक कहलाता था। इसका वेतन साधारण होता था पांच नायको पर एक हवलदार होता था दो या तीन हवलदार एक जुमलदार होता था।

जल सेनाः– शिवाजी ने अपने राज्य की रक्षा एवं जंजीरा के सीढ़ियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक जल सेना का भी निर्णय किया था शिवाजी के पास 400 जहाज थे, इनमें पांच प्रकार के युद्धपोत एवं कुछ बड़ी–बड़ी नावें भी थी।

अंगरक्षक की सेनाः– शिवाजी के दो हजार चुने हुए अंगरक्षक थे, जो बड़े साहसी एवं वीर होते थे। अंगरक्षक की सेना पर पूरा व्यय राज्य की ओर होता था।

तोपखानाः– शिवाजी ने अपने शासनकाल में तोपखाने का अलग विभाग बनाया था किलों में भी छोटा तोप रखा होता था, शिवाजी के सेनाओं में लगभग 200 तोप बनाने के लिए अपना कोई कारखाना नहीं था वह फ्रांसीसी और पुर्तगालियों और अंग्रेजों से तोपें खरीदतें थे।

सैनिकों का नकद वेतनः– शिवाजी अपने शासनकाल में सैनिकों एवं उनके अधिकारियों के सैनिक एवं सामरिक सेवाओं के लिए जागीर और भूमि नहीं देते थे, बल्कि उन्हें नकद वेतन देते थे, पुरूस्कार और जागीर देने की प्रथा बंद कर दी। सैनिक के पद वंशानुगत खत्म कर दिया।

सैनिक अनुशासनः– शिवाजी के शासन काल में मराठा सैनिक को एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, सैनिकों में राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत थी। वह अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहती थी।

निष्कर्श के रूप में हम क्या सकते हैं की शिवाजी अपने शासन प्रबंध में अष्टप्रधान विभागों की स्थापना करते हुए शासन संचालन किया, तथा शासन को सफल एवं सुचारु रूप से चलाने के लिए अश्वारोही सेना, पैदल सेना, जल सेना, एवं तोपखाने की व्यवस्था कि। यहां तक शिवाजी ने सैनिकों को जागीर के स्थान पर नगर वेतन देना प्रारंभ की एवं सैनिकों के अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना कुट–कुट कर भर दिया।